उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-5

संख्या:46/2024/290जे0/22-5-2024-1200(27)/2017

लखनऊ : दिनांक 10 मई, 2024

वारण्ट

उप महानिरीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-11282/सामा-1(3)/93/मानसिक बंदी/2024, दिनांक 26-04-2024 द्वारा केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी कल्लू उर्फ देवेन्द्र पुत्र श्री रामस्वरूप को मुख्य चिकित्साधिकारी, फर्रूखाबाद द्वारा मानसिक रोग से ग्रस्त पाये जाने एवं उनकी संस्तुति के क्रम में उक्त बंदी को उपचार हेतु मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी भेजे जाने हेतु अनुमति मांगी गयी है।

2- अतएव उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-479 एवं प्रिजनर्स एक्ट-1900 की धारा-30(1) के अन्तर्गत आदेशित किया जाता है कि उक्त बंदी को मानसिक रोग के उपचारार्थ मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी स्थानान्तरित कर दिया जाये तथा स्वस्थ होने के उपरान्त दण्ड की शेष अवधि भोगने हेतु केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ वापस भेज दिया जाये।

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।

संख्या-46/2024/290जे0(1)/22-5-2024-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाऐं, उ0प्र0 लखनऊ को उक्त पत्र दिनांक 26-04-2024 के संदर्भ में मूल संलग्नकों सहित। **(संलग्नक यथोक्त)**

2. जिलाधिकारी, फतेहगढ़।

3. पुलिस अधीक्षक, फतेहगढ़।

4. वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

5. प्रमुख अधीक्षक, मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी।

6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभय कुमार त्रिपाठी)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in